झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(गोपनीय शाखा)

दुरभाष सं0:–06432-232680 फैक्स–06432-232967 ई–मेल:–dcdeoghar@gmail.com

आदेश

सचिव, गृह विभाग, भारत सरकार का पत्रांक–40-3/2020-DM-I(A) दिनांक–29.03.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक– 24.03.2020 से कोरोना वायरस की संक्रमण के आशंका को देखते हुए पूरे भारत में ताला बन्दी (Lock Down) की गई है। ताला बन्दी (Lock Down) के दौरान भी देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं, जो ताला बन्दी का घोर उल्लंघन है। इससे कोरोना वायरस के संक्रमण की फैलाव का प्रतिशत बढ़ने की संभावना हो सकती है। महामारी की गंभीर स्थिति को देखते अधिसूचित ताला बन्दी (Lock Down) के दौरान निम्न बिन्दुओं का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किये जाने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के अनुपालन में देवघर जिला के संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि :–

1. नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, मधुपुर नगर पर्षद/सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति यथा मजदूर, प्रवासी, दुकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों तथा छात्र–छात्राऐं जो जिले में किराये के मकान में रह रहें है, उन्हें भारत सरकार के निदेशानुसार ताला बन्दी (Lock Down) के दौरान मकान मालिक किसी भी परिस्थिति में संबंधित किरायेदारों से एक माह का किराया राशि नहीं लें, यह सुनिश्चित करायेंगे।
2. कोई भी मकान मालिक किसी भी किरायेदार को ताला बन्दी (Lock Down) के दौरान मकान खाली कराने हेतु दबाव नहीं देंगे। ऐसा किये जाने की स्थिति में संबंधित मकान मालिक के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2) (I) के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
3. नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, मधुपुर नगर पर्षद/जिला अभियंता, जिला परिषद, देवघर/श्रम अधीक्षक, देवघर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, देवघर/सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि बन्दी (Lock Down) के दौरान जिले के सभी उद्योगों/दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय भुगतान किसी भी परिस्थिति में संबंधित मालिक नहीं रोकेंगे/न हीं काटेंगे यह सुनिश्चित करायेंग।

उपरोक्त निदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध ताला बन्दी (Lock Down) का उल्लंघन के आरोप में विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

31/3/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर

ज्ञापांक...393../गो०, देवघर , दिनांक..31......मार्च, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, देवघर/प्रचार–प्रसार कोषांग, देवघर को निदेश दिया जाता है कि उक्त निदेशों का क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

31/3/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर